

FORM No. III

Crim - 1

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

अज अदालत

अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0)

लक्ष्मीकांत गुप्ता

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी राजाखेडा

किस्म मुकदमा प्रथम अपील, सूचना का अधिकार  
अधिनियम 2005मुकदमा नम्बर 17 / 2020  
(आरसीएमएस न0 2020 / 00049)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27-08-2020	<p>अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी राजाखेडा के पत्र क्रमांक सू0अधि02005/20/384 दिनांक 18.8.2020 के जरिये टिप्पणी/रिपोर्ट प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा ने अपनी रिपोर्ट में अद्यगत कराया है कि अपीलार्थी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई, सूचना उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के पत्र क्रमांक सू0अधि02005/20/383 दिनांक 18.8.2020 के जरिये अपीलान्ट श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता को उपलब्ध करा दी गई है जिस पर अपीलान्ट के सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर हो रहे हैं। बिन्दू संख्या-2 के सम्बन्ध में अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने हेतु अधि0अधि0नगर पालिका राजाखेडा को पत्र अग्रेसित किया गया है। पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है।</p> <p>इस प्रकार अपीलान्ट को सूचना दस्ती प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।</p>	

  
नरेन्द्र कुमार वर्मा  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
धौलपुर